न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 127/2013/223 आर टी ए

1. हाकू खां पुत्र बलखू जाति मुसलमान निवासी पोहडका तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

—— अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।
3. अधिशाषी अभियन्ता उपनिवेशन नोहर साहवा इ0गा0न0प0 बीकानेर चौधरी कुम्भाराम आर्य योजना रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. आमीन खां पुत्र इब्राहिम जाति मुसलमान निवासी पोहडका तहसील रावतसर।

—— रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2013 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्र0सं0 145/08 अनवानी हाकूखां बनाम स्टेट आदि

उपस्थित :–
श्री देवदत भीड़ासरा अधिवक्ता अपीलांट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 स्टेट

निर्णय दिनांकः–28.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश किया किया चक पोहडका बारानी के प.न. 78/51 कि.न. 11 ता 25 की 15 बीघा, प.न. 78/59 कि.न. 11,19 ता 21 की 4 बीघा 22 की 13 बिस्वा कुल 19.13 बीघा भूमि 1955 से पूर्व की कृषि भूमि थी उक्त भूमि मे से बरमसर सब माईनर के लिये पोहडका बारानी के प.न. 78/59 कि.न. 19 की 14 बिस्वा, 20 की 9 बिस्वा, 21 की 13 बिस्वा, 22 की 13 बिस्वा, प.न. 78/51 कि.न. 16 की 7 बिस्वा, 17 की 6, 18 की 5, 19 की 4, 20 की 2, 21 की 19, 22 की 18, 23 की 16, 24 की 15, 25 की 15 दोनो पत्थरो मे कुल 7.13 बीघा भूमि बिना मुआवजा दिये हुए बरमसर सब माईनर के लिये अवाप्त कर ली। अपीलांट की चक पोहडका बारानी के प.न. 78/51 कि.न. 11 ता 21 की 11 बीघा, कि.न. 22 मे 17 बिस्वा, 23 मे 13, 24 मे 10, प.न. 78/59 कि.न. 11, 19, 20 की 3 बीघा, 21 मे 10 बिस्वा, 22 मे 5 बिस्वा कुल 16.15 बीघा भूमि के संबंध मे धारा 15एएए आरटीए के तहत न्यायालय सहायक कलैक्टर रावतसर ने दिनांक 11.07.2000 को खातेदारी सनद जारी कर दी। अपीलांट की अवाप्त की गई 7.13 बीघा भूमि मे केवल मात्र 3 बीघा भूमि मे ही नहर का निर्माण किया गया है शेष भूमि मे अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त है व कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी सनद जारी की गई है। अपीलांट ने वाद मे अनुतोष चाहा कि मुताबिक खातेदारी सनद व कब्जा काश्त भूमि पुनः अपीलांट के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी जावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने

अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत, बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये, विधि के आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद का रेस्पो/प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत किया। दावा व जवाबदावा के आधार पर वाद मे तनकीयात कायम की गई। वादी के द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य से सम्पूर्ण दस्तावेजो को प्रदर्शित कर साक्ष्य अधिनियम के तहत पूर्णतया साबित किया है। प्रतिवादीगण/रेस्पो0 ने वाद मे न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है व न ही अपीलांट के साक्ष्य मे कोई प्रतिपरीक्षा की। इसलिए अपीलांअ का वाद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से पूर्णतया साबित था। विचारण न्यायालय ने कायम की गई तनकीयात पर बिना विवेचन किये निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का मुख्य आधार रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो को माना गया है। जबकि रेस्पो0 ने जवाबदावा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो को मौखिक साक्ष्य मे प्रदर्शित करवाकर साबित नही किया है। अपीलाधीन निर्णय मे वर्णित चक पोहडका बारानी की 19.13 बीघा भूमि अपीलांट की 1955 से पूर्व की भूमि थी व उक्त भूमि मे से बिना मुआवजा दिये 7.13 बीघा भूमि बरमसर सब माईनर हेतु अवाप्त की गई थी परन्तु मौका पर केवल मात्र 3 बीघा भूमि मे ही नहर का निर्माण किया गया है शेष भूमि अपीलांट के नाम से दर्ज है। अपीलांट के कब्जा काश्त के आधार पर ही अपीलांट को धारा 15एएए आरटीए के तहत दिनांक 11.07.2000 को न्यायालय सहायक कलैक्टर रावतसर द्वारा खातेदारी सनद 16.15 बीघा की जारी की गई थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण मे विधिवत रूप से निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट की चक पोहडका बारानी के प.न. 78/51 कि.न. 11 ता 25 की 15 बीघा, प.न. 78/59 कि.न. 11,19 ता 21 की 4 बीघा 22 की 13 बिस्वा कुल 19.13 बीघा भूमि 1955 से पूर्व की कृषि भूमि थी उक्त भूमि मे से बरमसर सब माईनर के लिये पोहडका बारानी के प.न. 78/59 कि.न. 19 की 14 बिस्वा, 20 की 9 बिस्वा, 21 की 13 बिस्वा, 22 की 13 बिस्वा, प.न. 78/51 कि.न. 16 की 7 बिस्वा, 17 की 6, 18 की 5, 19 की 4, 20 की 2, 21 की 19, 22 की 18, 23 की 16, 24 की 15, 25 की 15 दोनो पत्थरो मे कुल 7.13 बीघा अवाप्त कर ली गई। अपीलांट की चक पोहडका बारानी के प.न. 78/51 कि.न. 11 ता 21 की 11 बीघा, कि.न. 22 मे 17 बिस्वा, 23 मे 13, 24 मे 10, प.न. 78/59 कि.न.

11, 19, 20 की 3 बीघा, 21 मे 10 बिस्वा, 22 मे 5 बिस्वा कुल 16.15 बीघा भूमि के संबंध मे धारा 15एएए आरटीए के तहत न्यायालय सहायक कलैक्टर रावतसर ने दिनांक 11.07.2000 को खातेदारी सनद जारी की गई। अपीलांट का तर्क है कि ''अपीलांट की अवाप्त की गई 7.13 बीघा भूमि मे केवल मात्र 3 बीघा भूमि मे ही नहर का निर्माण किया गया है शेष भूमि मे अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त है व कब्जा काश्त के आधार पर कुल 16.15 बीघा भूमि की खातेदारी सनद जारी की गई है।

6. अपीलांट ने वाद मे अनुतोष चाहा कि मुताबिक खातेदारी सनद व कब्जा काश्त भूमि पुनः अपीलांट के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी जावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद खारिज कर दिया।'' चूंकि अपीलांट को कुल 19.13 बीघा भूमि 1955 से पूर्व की भूमि थी जिसमे से 7.13 बीघा भूमि बरमसर सब माईनर के लिये अवाप्त की गई परन्तु मौका 3 बीघा भूमि पर निर्माण किया गया तथा अपीलांट को चक पोहडका मे 16.15 बीघा भूमि की धारा 15एएए आरटीए के तहत न्यायालय सहायक कलैक्टर रावतसर ने दिनांक 11.07.2000 को खातेदारी सनद जारी की गई जिससे साबित है कि चक पोहडका की 19.13 बीघा मे से 3 बीघा भूमि पर निर्माण किया गया शेष 16.15 बीघा भूमि पर अपीलांट के कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी सनद जारी कर दी गई। ऐसी स्थिति मे वादग्रस्त भूमि के संबंध मे बरमसर सब माईनर के लिये अवाप्त की गई की भूमि मे से मौका पर निर्माण एवं अवाप्ति से मुक्त होने संबंधी तथ्यं की जांच कर पुनः निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित है। इस प्रकार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17.05.2013 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की चक पोहडका बारानी रकबा मे से बरमसर सब माईनर के लिये अवाप्त की गई की भूमि मे से मौका पर नहर निर्माण प्रयुक्त एवं अवाप्ति से मुक्त होने संबंधी तथ्यभूमि की जांच कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौका कब्जा काश्त की जांचकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़